न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–71 / 16 (2016 / 00140) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–रामचन्द्र पिता मूला खारोल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–भगवानलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सुन्दरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–भंवरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–शान्तिलाल माता कमला पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर
5–लक्ष्मीलाल माता कमला पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट.

निर्णय

दिनांक 19.03.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोल पटवार हल्का पीथाकाखेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1314 रकबा 0.40 है0, आराजी संख्या 2259 / 1315 रकबा 1.00 है0, आराजी संख्या 2255 / 1299 रकबा 1.09 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.39 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी सवंत 2069 से 2072 तक मय नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अंकित कृषि आराजियात संख्या 1299 रकबा 1.45 है0 भूमि पूर्व में सभी खातेदारो के सामलाती में थी। जिसका विभाजन होकर अलग अलग बटा नम्बर कायम हुए है। उक्त आराजियात में प्रार्थी के आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण की आराजी संख्या 1227 रकबा 0.78 है0 व 1298 रकबा 0.28 है0 में स्थित है जिस मे से प्रार्थी संज, बैलगाड़ी ट्रेक्टर व पेदल पिछले 50 वर्षो से भी अधिक किसी बाधा के आवागमन करता चला आ रहा है तथा मौके पर विपक्षीगण की आराजियात पर 14 फीट चोड़ा रास्ता बना हुआ है जिसके दोनो तरफ कच्चे पत्थरो का कोट चुना हुआ है व बीच में रास्ता छोड़ रखा है आराजी संख्या 1227 के पूर्वी कोने पर मुख्य सड़क से लगती हुई विपक्षीगण ने फाटक लगा रखी है। प्रार्थी आराजी संख्या 1227 में छुटे हुए रास्ते से होकर आगे आराजी संख्या 1298 में प्रवेश कर अपनी आराजी संख्या 1299 में आवागमन करता है। विपक्षीगण के नाम दर्ज आराजी संख्या 1227 व 1298 पूर्व में प्रार्थी के पूर्वज मुला पिता दोला व केला मांगु उदा पिता किशना के नाम दर्ज रेकार्ड था जिसके साबिक नम्बर 687 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा व 717 रकबा 1 बिघा 6 बिस्वा थे। उनके साथ जमाबन्दी में अन्य आराजियात भी दर्ज रेकार्ड थी प्रमाण में जमाबन्दी संवत 2018 से 2021 प्रस्तुत की है। प्रार्थी के पूर्वज मूलाजी ने विपक्षीगण के पिता माना पिता बेणा को उक्त आराजियात विक्रय की विक्रय के समय विपक्षीगण भगवानलाल, सुन्दरलाल व उनके पिता मानाजी ने सवंत 2050 दिनांक 27.07.1993 को उक्त रास्ते के सम्बन्ध में तहरीर लिख कर दी इस रास्ते पर आवागमन करने से प्रार्थी को रोक टोक नही करेंगे न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे। प्रार्थी को आने जाने के रास्ते पर फाटक लगा दी ओर रास्ता करीब 2 वर्ष पूर्व बन्द कर दिया जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार रायपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अपनी आराजियात की बुवाई करने हेतु पुलिस इमदाद के जरिये रास्ता खुलवाने की प्रार्थना की उस समय तहसीलदार रायपुर ने मौका पर्चा कायम कर विपक्षीगण को रास्ता बन्द न करने की हिदायत दी लेकिन बावजुद विपक्षीगण ने रास्ता बन्द कर दिया है। अतः सादर प्रार्थना है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र की कलम नम्बर 2 में अंकित विपक्षीगण की आराजी संख्या 1227 व 1298 में स्थित 14 फीट चोड़े रास्ते को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता के रूप में दर्ज कराया जाने व बन्द रास्ते को खुलासा करने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 06.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 4 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही है इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तथा विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने जवाब मे अंकन किया कि प्रार्थी की अन्य कृषि भूमिया उक्त विवादित भूमि के साथ में स्थित है जिनको प्रार्थना पत्र में नही दर्शाया गया है। आराजी संख्या 1227, 1298 में विपक्षीगण का निजी रास्ता है जो विपक्षीगण की अन्य आराजियात में आवागमन के लिए छोड़ा गया है। विपक्षीगण ने प्रार्थी के पक्ष में कोई तहरीर नही की है प्रार्थी द्वारा जो तहरीर पेश जो फर्जी है। प्रार्थी ने पूर्व मे सिविल न्यायालय में भी रास्ते हेतु वाद पत्र पेश किया जिसमें तहसीलदार रायपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मोका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें प्रार्थी के खेतो में आवागमन के दो रास्ते बताये गये है। प्रार्थी जानबुझकर परेशान कर रहा है एवं भूमि वापस हड़पना चाहता है ओर अपनी सुविधा के लिये विपक्षीगण के खेतो में रास्ता चाहता है। प्रार्थी की भूमि में आवागमन के दो रास्ते मोके पर मोजुद होकर खुले है तथा उनमें कोई अवरोध नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाए।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मण्डोल की सीमा में स्थित वादी ने अपनी आराजियात में आने जाने हेतु प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 में आने जाने हेतु प्रकरण किया है मोके पर आराजी नम्बर 1227 के दक्षिणी मेड़ पर रायपुर से पालरा पक्की सड़क आराजी नम्बर 1228 रकबा 0.18 है0 बिलानाम रास्ते से अपनी खातेदारी आराजी नम्बर 1227 व आराजी नम्बर 1298 के दक्षिणी पूर्वी मेड़ पर रास्ता बना हुआ है सड़क एवं आराजी के मध्य लोहे की फाटक लगा रखी है। उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। मोके पर प्रतिवादीगण ने विवादित रास्ते में सड़क के किनारे लोहे की फाटक लगा रखी है जिसमें वर्तमान में आवागमन हो रहा है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 2255 / 1299 व प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1298 के मध्य पत्थर की कच्ची दिवार बना रखी है जंहा से रास्ता प्रतिवादी के कुएं तक है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 2259 / 1315 के पश्चिम में आराजी नम्बर 1316 चारागाह आराजी स्थित है उक्त रास्ता चारागाह में कच्चा रास्ता मोजुद है जो रायपुर पालरां से मण्डोल जाने वाली सड़क से मिलता है इसके अलावा वादी के आराजियात पर वर्तमान में रायपुर से मण्डोल से सीधा जाने वाले रास्ते से चारागाह आराजी नम्बर 1318, 1317 व 1316 में होता प्रार्थी की आराजी नम्बर 2259 / 1315 तक स्थित है जो मोके पर चालु है। वर्तमान में प्रार्थी उक्त रास्ते से आता जाता है। प्रार्थी वर्तमान में अपनी आराजियात में आने जाने हेतु ग्राम मण्डोल ग्रेवल सड़क से चारागाह में स्थित कच्चे रास्ते एवं रायपुर से पालरां सीधे खेतो के रास्ते से चारागाह में होकर आता जाता है। प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1227 व 1298 में 14 फीट चोड़ा रास्ता है आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 मे से रकबा 0.06 है यानि 600 वर्गमीटर एवं आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर प्रस्तावित रास्ते में आता है। उक्त खसरा नम्बरान की डीएलसी दर 68310 रू. प्रति बीघा है जिससे आराजी नम्बर 1227 में प्रभावित रकबा 0.06 है0 यानि 600 वर्गमीटर की भूमि की कीमत 18966 रू. एवं आराजी नम्बर 1298 में प्रभावित रकबा 0.01 है0 यानि 100 वर्गमीटर की कीमत 3161 रू. बनती है। कुल प्रभावित रास्ता हेतु रकबा 0.07 है0 की कीमत 22127 रू. बनती है

जिसका दुगुना करने पर 44254 रू. होती है। नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है जो वादी रास्ता चाहता है एवं वादी के वर्तमान में रास्ते आने जाने हेतु मोजुद है उसको बल्यु स्याही से दर्शाया गया है मोके पर वादी के उक्त आराजियात पर वर्तमान में रायपुर पालरां व मण्डोल जाने वाली ग्रेवल सड़क से चारागाह आराजी नम्बर 1316, 1954, 1955 में स्थित रास्ता का आने जाने हेतु उपयोग कर रहा है। उक्त वैकल्पिक रास्ते को नक्शे में बल्यु स्याही से दर्शाया गया है।

तहसीलदार से प्राप्त मोका रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता को कराया गया तथा दोनो अधिवक्ताओ की द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए बहस की जिसे सुना गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा जहां रास्ता चाहा गया है वो सरकारी आम रास्ता के समीप है ओर वर्तमान में मोके पर रास्ता बना हुआ है जिसकी मोका स्थिति के फोटो प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली में पेश किये गये है जिसके अनुसार भी मोके पर रास्ता बना हुआ होकर लोहे की फाटक लगी हुई है विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में आराजी संख्या 1313, 1310, 1956, 1957, 1958, 1959, 1303, 1305, 1306, 1308, 1309 को प्रार्थी होना दर्शाया गया है जिसकी रेकार्ड से जांच करने पर आराजी नम्बर 1313, 1310, 1957, 1959, 1303, 1305, 1306, 1308, 1309 प्रार्थी की खातेदारी नही होकर दलीचन्द पिता पन्ना खारोल के नाम दर्ज है। ओर जवाब में दर्शाये गये तथ्य रेकार्ड एवं मोके से मेल नही खाते है तथा विपक्षी द्वारा दर्शाया गया रास्ता काफी लम्बा होकर धारा 251ए में वर्णित प्रावधानो के अनुरूप नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2255 / 1299 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 **मे से** दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे का **रकबा 0.06 है0** भूमि एवं आराजी संख्या 1227 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिणी की ओर आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 2255 / 1299 में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि का कुल रकबा 0.07 है0 की बाजार दर 68310 / —रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 700 वर्गमीटर की राशि 22127 / —रूपये भूमि कीमत होती है जिसका दुगुना करने पर 44254 / —रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 मे से 0.06 है0 भूमि व आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 मे से 0.01 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को हुक्मानामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19.3.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—71 / 16 (2016 / 00140) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—रामचन्द्र पिता मूला खारोल निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—भगवानलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सुन्दरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—भंवरलाल पिता माना कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—शान्तिलाल माता कमला पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर
5—लक्ष्मीलाल माता कमला पत्नि भैरूलाल कुमावत निवासी रायपुर तहसील रायपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 2255 / 1299 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 की आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 **मे से** दक्षिणी मेड़ के सहारे सहारे का **रकबा 0.06 है0** भूमि एवं आराजी संख्या 1227 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से दक्षिणी की ओर आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि प्रार्थी की आराजी संख्या 2255 / 1299 में प्रवेश करने की सीमा तक की भूमि का कुल रकबा 0.07 है0 की बाजार दर 68310 / —रूपये प्रति बिघा के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 700 वर्गमीटर की राशि 22127 / —रूपये भूमि कीमत होती है जिसका दुगुना करने पर 44254 / —रूपये भूमि की मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को बतौर मुआवजा भुगतान करने पर विपक्षी की आराजी नम्बर 1227 रकबा 0.78 है0 मे से 0.06 है0 भूमि व आराजी नम्बर 1298 रकबा 0.28 है0 मे से 0.01 है0 भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

19.3.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.30 15:23:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: